an>

Title: Need to compensate the crop loss due to animal menace, under prime Minister Crop Insurance Scheme.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनकर सामने आई है जो आज तक की फसल बीमा योजना में बड़ी सफलता के रूप में मानी जा सकती है। इसके अंतर्गत खाद्यान्न, तिलहन, दलहन फसलों के लिए एक मौसम एक दर होगी और जिलावार और फसलवार अलग अलग दर से मुक्ति मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत बीमे का खरीफ की फसल पर वार्षिक प्रीमियम 2 प्रतिशत तथा रबी की फसल पर डेढ़ प्रतिशत होगा और बीमा राशि पर कैपिंग भी नहीं होगी। जहाँ इस फसल बीमा में बिजली गिरने, आग लगने, तूफान, ओला, चक्रवात, अंधड़, बवंडर, बाढ़, जलभराव, ज़मीन धँसने, सूखा, खराब मौसम तथा फसल को होने वाली बीमारियों से नुकसान होने पर बीमा कवर दिया जाएगा, वहीं फसल कटाई के बाद नुकसान भरपाई का भी प्रावधान है। यह फसल बीमा योजना किसानों के लिए भरोसेमंद नुकसान की भरपाई के लिए काफी लाभदायक है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए, इस बीमा योजना में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसल बरबाद किए जाने के नुकसान की भरपाई हेतु कोई प्रावधान नज़र नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश तथा अन्य कई राज्यों में गत कई वर्षों से जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलें तबाह की जा रही हैं, जिस पर किसान बहुत परेशान हैं और उन्होंने खेती करना ही बंद कर दिया है। उन्हें दो समय की रोटी के लाले पड़े हैं। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि इस फसल बीमा योजना के अंतर्गत बंदरों, सूअरों, नीलगायों आदि जंगली जानवरों द्वारा किए जा रहे नुकसान की भरपाई हेतु प्रावधान किया जाए ताकि किसान की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अधिकांशतः सारे देश में इस योजना का किसानों ने बहुत स्वागत किया है, पर कुछ प्रदेश ऐसे हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश में यह बहुत गंभीर समस्या है। पिछले कुछ दशकों से यह समस्या चल रही है। अगर इसको इसमें इनक्लूड किया जाएगा तो डैफिनेटली हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रामस्वरूप शर्मा, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।